(१)

क्रम-संख्या–189(घ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 5 अक्टूबर, 2020
आश्विन 13, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 1160/ग्यारह-2-20–9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम 2017-आदेश(149)-2020
लखनऊ, 5 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प0आ0–265

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर एतदद्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2–136/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(99)-2018, दिनांक 30 जनवरी, 2018 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः–

"परन्तु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए जो कि जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की तिमाहियों से संबंधित **प्ररूप जीएसटीआर-4** में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत नहीं कर पाये थे, लेकिन उक्त विवरणी 22 सितम्बर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 की समयावधि में प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस दो सौ पचास रुपये से अधिक का अधित्यजन करती हैं, और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूर्ण रूप से अधित्यजन करती हैं जहाँ उक्त विवरणी में केन्द्रीय कर की राशि शून्य है।"

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1160/XI-2–20-9(42)-17-U.P.GST Rules-2017-Order(149)-2020, dated October 5 , 2020:

No. 1160/XI-2–20-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(149)-2020

Dated Lucknow, October 5, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) *read* with section 148 of the said Act, the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification no. KA.NI.-2–136/XI-9(42)-17-U.P.Act-1-2017-Order(99)-2018. dated January 30, 2018, namely :-

AMENDMENT

IN the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be be *inserted*, namely :-

"Provided also that late fee payble under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived where the total amount of central tax payble in the said return is nil, for the registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-4** for the quarters from July, 2017 to March, 2020 by the due date but furnishes the said return between the period from 22nd day of September, 2020 to 31st day of October, 2020.".

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 321 राजपत्र–2020–(776)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 50 सा0 राज्य कर–2020–(777)–1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

321 Rph rajya kar anu-2-2020 data-8 (gst folder 2020)